न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :- 25/2024

वादी:-

1. निशा पुत्री पुसाराम
2. तनीषा पुत्री पुसाराम
3. युवराज पुत्र पुसाराम जातियान जाट निवासीगण चांदेलाव तहसील बिलाडा वादी सं. 1 से 3 नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता पुसाराम पुत्र गोकलराम जाति जाट निवासी चांदेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. गोकलराम पुत्र भीकाराम (फौत)
2. श्यामलाल पुत्र गोकलराम जातियान जाट निवासीगण चांदेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. श्रीमति मीमादेवी पुत्री गोकलराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट(तांडी) निवासी कूड तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर
4. यूकौं बैंक शाखा भावी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 2, 3- श्री गिरधारी लाल कंसारा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 5- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 14/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा आयी हुयी है। यह भूमि वादीगण के दादा गोकलराम पुत्र भीकाराम की खातेदारी की है। इस प्रकार यह भूमि वादीगण की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद के पैरा सं. 2 के अनुसार है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम के उतराधिकारी उनके दो पुत्र श्यामलाल व पुसाराम तथा उनकी एक पुत्री मीमादेवी तथा उनकी पत्नी घीसादेवी है। जिनमें से घीसादेवी का देहान्त हो चुका है। पुसाराम के उतराधिकारी उसके दो पुत्रीया निशा व तनीषा तथा एक पुत्र युवराज है। इस प्रकार दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम का 1/4 वां हिस्सा है तथा वादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/16 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 3 का 1/4 वां हिस्सा है।

वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम की दीमागी हालत ठीक नही होने से मानसिक संतुलन खो चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल अफीम सेवन एवं शराब पीने का आदि हो चुका है। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 2 श्यामलाल की गलत लत लगने के कारण उसने अपनी माता श्रीमती घीसादेवी के गहने को बेच दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल के ऊपर काफी कर्ज हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल येनकेन प्रकारेण अपनी भूमि को भू माफियाओं को बेचान करना चाहता है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके दिमागी हालत ठीक नहीं होने का नाजायज लाभ उठाने हेतु अपनी ढाणी में लेकर चला गया जिसकी जानकारी वादीगण के पिता पुसाराम को मालूम पड़ी तो पुसाराम ढाणी में गया तब प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल ने पुसाराम को धमकी दी कि मैं गोकलराम की भूमि को बेचकर रहूंगा। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम के फर्जी अगुठे आदि लगवाकर उनको फुसला कर भूमि को बेचान हस्तान्तरण अथवा इकरार करने की फिराक में है। अभी 10 पहले प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विवादित भूमि पर भूमि तस्करों को साथ लेकर आया और भूमि बेचान हस्तान्तरण की बात कहीं गयी। प्रतिवादी संख्या 2 तथा भूमि तस्कर वादीगण के दादा गोकलराम के दीमागी हालत ठीक नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की जमीन हडपना चाहते है। वो वादीगण के दादा का दीमागी हालत ठीक नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 209, 336/2 में से उसके हिस्से से ज्यादा की भूमि का बेचान हस्तान्तरण करवा सकते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सयुक्त हिन्दू परिवार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम की भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी, पैतृक, अविभाजित कृषि भूमि है। इस सयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायी भूमि में प्रत्येक सहदायी का बराबर बराबर का हक व अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 15 बीधा, खसरा नम्बर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा में उसका केवल 1/4 हिस्सा ही बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम के दो पुत्र व एक पुत्री है, जिनका गोकलराम की खातेदारी की भूमि में बराबर का हिस्सा है। वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 गोकलराम की दीमागी हालत ठीक नही होने का नाजायज फायदा उठाकर उनके हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान हस्तान्तरण अथवा इकरार आदि करवा सकता है, अगर प्रतिवादी संख्या 1 को विवादग्रस्त भूमि के बेचान हस्तान्तरण अथवा इकरार आदि से नही रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। वादीगण की आजीविका का एकमात्र साधन यही भूमि है। वादकारण विवादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि होने से तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बहला फुसला कर कभी भी वादीगण के दादा गोकलराम पर दबाव डालकर इस भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने की संभावना होने पर बमुकाम चांदेलाव पैदा हुआ। बंटवाड़े के दावे में लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार होने से राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिवादी बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम चांदलाव तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से वाया घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में प्रार्थना वादीगण यह कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 डिक्री किया जाकर ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 15 बीघा (2.4108 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा (3.9965 हैक्टेयर) कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा (6.4073 हैक्टेयर) में वादीगण को अपने पिता पुसाराम के 1/4 व० हिस्से की भूमि में से 1/4 वाँ (यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/16 व० हिस्सा) हिस्से का खातेदारी काश्तकारी का घोषित किया जावे। ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 209 रकबा 15 बीघा (2.4108 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा (3.9965 हैक्टेयर) कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा (6.4073 हैक्टेयर) में वादीगण को अपने पिता पुसाराम के 1/4 व० हिस्से की भूमि में से 1/4 व० (यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/16 व० हिस्सा) हिस्से का बाईमीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने आपसी समझाईश से राजीनामा में यह तय किया है कि उक्त भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में वादी पुसाराम का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 श्यामलाल का रखना तय किया है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं. 3 का कोई हक हकूक नहीं रखना तय किया गया है। वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 2 के वली वारिशान आदि विवादित भूमि को लेकर किसी भी प्रकार की कोई आपति भविष्य में नहीं करेगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम आदि किया जायेगा तो वह इस राजीनामा से बेअसर एवं निष्प्रभावी माना जायेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेगें।

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही पक्षो को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनों ही पक्षो ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता गणपत लाल चौधरी ने व प्रतिवादी सं. 2 व 3 की अधिवक्ता गिरधारीलाल कंसारा ने पहचान की। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरुद्ध बंटवाडा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राजस्व वाद को पेश किया है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बीच आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है इस कारण वादीगण बंटवाडा का अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाहते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। अन्त में निवेदन है कि उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में बंटवाडा का अनुतोष हटाया जाने का आदेश फरमावें। वादीगण व प्रतिवादीगण में मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत बंटवाडा का अनुतोष हटाया जाना उचित है। दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में से राजस्व रेकर्ड में वादी पुसाराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 14/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा सत्यमेव जयते

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण

निशा **गोकलराम वगैराह**

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 25/2024

निर्णय **दिनांक :-** 14/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा की सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 209 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 336/2 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा में से राजस्व रेकर्ड में वादी पुसाराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा